

प्रेषक,

अनिल कुमार पाण्डे,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली-110092

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-३

देहरादून, दिनांक: २८/ अगस्त, २०२०

विषय: स्वस्त्ययन पब्लिक रकूल शिक्षा नगर लाभाचौड़ हल्द्वानी नैनीताल को री०वी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रगाण पत्र निर्गत करने के साक्षण्य में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के प्रस्ताव संख्या आगत गाया-
(23)5141/एन०ओसी०/2020-21 दिनांक 09.07.2020 तथा पत्र संख्या-आगत गाया(23) ५०६१, एन०ओसी०/2020-21, दिनांक: 13.08.2020 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त पृष्ठे ५८ कहने का निदेश हुआ है कि स्वस्त्ययन पब्लिक रकूल शिक्षा नगर लाभाचौड़ हल्द्वानी नैनीताल को री०वी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रगाण-पत्र दिये जाने गें राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवर्णों के अधीन आपति गयी है-

- (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त संख्या द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (ख) विद्यालय की पंजीकरण सोसाइटी का रामय-सामय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (ग) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नागित सदस्य होगा।
- (घ) विद्यालय में उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मैधावी वर्चों वं लिंग पर्याप्त स्थान यथा निर्दिष्ट सुरक्षित रहेंगे।
- (ङ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से विरी भी प्रकार के अनुदान की भाँग नहीं की जायेगी और यदि विद्यालय पूर्व में विद्यालयी शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एज्युकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फॉर द इंडियन रेकूल सर्टिफिकेट एज्यामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान जैसी रिस्ति हो, स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- (च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेतार कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
- (छ) विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाग उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (ज) राज्य सरकार द्वारा समय-सामय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था/स्कूल उनका प्राप्त करेंगी।
- (झ) विद्यालय तथा विद्यार्थियों से सम्बद्धता रामी अग्रिमेल निर्धारित प्रपत्रों/पंजिकाओं में रखे जायेंगे।



- (८) उक्त शतांगे विद्यालय के पूर्णानुग्रहादन के कोई पारेवतेन/संशोधन/पारेवद्धन नहीं किया जायेगा।
- (९) संस्था/विद्यालय में शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर वे ही शिक्षक/कर्मचारी रखे जा सकते हैं जो रजीबीय राहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में रखे जाने हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता पूर्ण करते हों, अर्थात् अप्रशिक्षित एवं निर्धारित शैक्षिक अर्हता से अन्तर्भूत शिक्षक/कर्मचारियों को विद्यालय में सम्बोधित नहीं किया जायेगा तथा ऐसा पाये जाने पर अनापत्ति वापस ले ली जायेगी।
2. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि निरीक्षण आख्या/प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है तथा स्कूल प्रबन्ध द्वारा दिये गये शपथ पत्र में कोई अरात्य कथन किया गया है या तथ्यों को छुपाकर कथन किया गया है जो यथा नियमों के अधीन नहीं है तो इसकी जावाबदेही/उत्तरदायित्व निदेशक एवं नेतृत्व अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी का होगा एवं रास्ता ही दी जा रही अनापत्ति निरस्ता/वापस कर ली जायेगी तथा रक्तूल प्रबंधन एवं संचालित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
3. उक्त विद्यालयों द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण राज्यकी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।
4. संस्था/स्कूल द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में उत्तिलित प्राविधान कि 25 प्रतिशत सरकार प्रायोजित कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्ग के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आवश्यक रूप से शिक्षा दी जायेगी, का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था/स्कूल द्वारा प्रत्येक वर्ष U-DISE (Unified District Information System In Education) में सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के विद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
6. विद्यालय में अध्ययनरत वर्चों की रुक्खा रुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा एवं वर्चों की सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कदम रक्तूल प्रबन्धक द्वारा अनिवार्य रूप से उठाये जायेंगे एवं इस दिशा में समय-समय पर मात्र न्यायालय एवं सरकार द्वारा दिये जाने वाले आदेशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। विद्यालय प्रबंधन की धूक से विद्यालय में अध्ययनरत किसी वर्चों की सुरक्षा खण्डित होने अथवा वर्चों को जान-गाल का नुकसान होने पर विद्यालय प्रबंधक के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत कार्यवाही किये जाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा एवं प्रतिकूल स्थिति होने पर अनापत्ति प्रत्यावर्तित/निररत कर दी जायेगी।
7. संस्था/स्कूल द्वारा पर्यावरण के दृष्टिगत रक्तूल प्रारूप में समुचित/पर्याप्त संख्या में चौड़ी पत्ती वाले छायादार वृक्ष लगाये जायेंगे, स्कूल में रेग वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, राजी सरकारी कार्यक्रमों में यथा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा विद्यालय में वाटर प्लॉट व्यूरीफायर, अनिशमन तथा हाईजनिक टॉयलेट की व्यवस्था की जायेगी।
8. संस्था/स्कूल द्वारा Juvenile Justice Act के मानकों का सत्यापन प्रारूप 46 के अनुसार कराने तथा विद्यालयों द्वारा आयकर की धारा 12 के अन्तर्गत छूट का मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेखों का सत्यापन कराते हुए सूचना निदेशक, मार्गिका के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी एवं उक्त का अनुपालन भविष्य में सुनिश्चित किया जायेगा।
9. विद्यालय परिसर में धूप्रपान व अन्य तापाकू उत्पाद एवं मध्यपान का प्रतिष्ठेत तथा यौन उत्पीड़न को पूर्णतया रोकने के संबंध में वेरिक शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण संस्थान सुनिश्चित किया जायेगा एवं दिव्यांग छात्रों हेतु विद्यालय में समुचित व्यवस्था की अप्राप्यता पर्याप्ति वापस ले ली जायेगी।



10. उपरोक्त समरत प्रतिवधी/शतो का पालन करना राज्य के लिए आगेया होगा और यह विसंगत समय यह पाया जाता है कि संरथा द्वारा उक्त ग्रतिवधी का पालन नहीं किया जा रहा है अतः पालन करने में किसी प्रकार की चुक या शिथिलता वरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(अनिल कुमार पा डे)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 773 /XXIV-B-3/2020/01(14.-020 तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- (1) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (2) जिलाधिकारी, नैनीताल।
- (3) अपर शिक्षा निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- (4) मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
- (5) प्रधानाचार्य, स्वरत्ययन पब्लिक स्कूल शिक्षा नगर लामाचौड़ हल्द्वानी नैनीताल।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण कुमार शुभज)
अनु सचिव।



Principal
SWASTHYAYAN PUBLIC SCHOOL
Haldwani (Nainital)